(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2147-दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-6-12 - पारित व्दारा - तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 43 अ-12/2011-12

रामकिशोर सिंह पुत्र स्व. माधव सिंह
ग्राम कचूर तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- सुशील सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवासिंह
ग्राम कचूर तहसील हुजूर जिला रीवा

2- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ललेश सिंह)

(अनावेदक क-1के अभिभाषक श्री प्रदीप पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 05-03-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43 अ-12/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 5-6-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 385/1 ख रकबा 0.053 आरे के सीमांकन हेतु तहसीलदार हुजूर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर से तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 43 अ-12/ 2011-12 पॅजीबद्ध किया। सीमांकन प्रकरण में आवेदक व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई।

अनावेदक क-1 ने अन्य आवेदन प्रस्तुत कर आराजी क्रमांक 385/1 ख रकबा 0.053 आरे के नक्शा तरमीम की प्रार्थना की। तहसीलदार हुजूर ने

दोनों आवेदन एक ही प्रकरण में संलग्न किये । आवेदक ने नक्शा तरमीम आवेदन पर आपत्ति आवेदन दिनांक 13-1-12 प्रस्तुत किया तथा बताया कि सीमांकन प्रकरण मद अ-12 में एंव नक्शा तरमीम प्रकरण मद अ-74 में दर्ज किये जाते हैं जिसके कारण सीमांकन के प्रकरण में दोनों कार्यवाहियॉ सम्मिलित होने से प्रकरण निरस्त किया जाय। तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनांक 5-6-12 पारित किया तथा आपत्तिकर्ता (आवेदक) की आपत्ति प्रथम दृष्टया प्रचलनशील होने से स्वीकार करते हुये अनावेदक क्र-1 के आवेदन निरस्त कर दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि अनावेदक क्र-1 ने उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 385/1 ख रकबा 0.053 आरे के सीमांकन हेतु तहसीलदार हुजूर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर से तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 43 अ-12/ 2011-12 पॅजीबद्व किया है किन्तु समय रहते सीमांकन न हो पाने के कारण नक्शा तरमीम का दूसरा आवेदन इस आशय का दिया गया है -

1- यह कि आ.नं. 385/1 ख रकबा 0.053 है. स्थित ग्राम कचूर की भूमि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की है। उक्त आराजी के सीमांकन का आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

2- यह कि आवेदक ग्रामीण अशिक्षित व काफी वृद्व व्यक्ति है। पड़ौसियों द्वारा इधर उधर से उसकी आराजी को दवाकर अतिक्रमित करने पर वह सीमांकन का आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।

3- यह कि आवेदक को यह जानकारी नहीं थी कि नक्शा तरमीम के बिना सीमांकन में काफी अड़चन उत्पन्न होगी। आवेदक द्वारा अधिवक्ता से संपर्क करने पर सीमांकन हेतु नक्शा तरमीम करवाने की सलाह दी गई है। न्याय हित में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

तहसीलदार ने मद अ-12 में दर्ज सीमांकन प्रकरण में इस आवेदन को भी समाविष्ट कर लिया गया , जबकि तहसीलदार का दायित्व था कि वह उक्त आवेदन पर से

नक्शा तरमीम का प्रथक प्रकरण दर्ज करते और जब तक नक्शा तरमीम उनके द्वारा नहीं कर दिया जाता, सीमांकन प्रकरण को यथावत् स्थिति में रखते , क्योंकि अनावेदक क्र-1 की प्रथम मांग सीमांकन करने की रही है एंव राजस्व प्रशासन का दायित्व है कि नियत शुल्क प्राप्त होने पर सीमांकन कार्यवाही करे और जब नक्शा तरमीम न होने के अभाव में सीमांकन कार्यवाही अवरोधित थी, तहसीलदार को प्रथमतः नक्शा तरमीम कार्यवाही संपन्न करना थी, क्योंकि शासकीय अभिलेख अद्धतन रखने का दायित्व राजस्व विभाग का है, परन्तु तहसीलदार ने सीमांकन के प्रकरण में नक्शा तरमीम का आवेदन संलग्न करने की स्वयं् की त्रृटि पर ध्यान दिये बिना अनावेदक क्र-1 के दोनों आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

5/ जहां तक आवेदक की आपत्ति पर सुनवाई का प्रश्न है ? जब तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम हेतु प्रथक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी एंव नक्शा अद्धतन करने के उपरांत सीमांकन कार्यवाही की जावेगी, आवेदक को तहसीलदार के समक्ष दोनों प्रकार की कार्यवाही में भाग लेने, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त रहेगा, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत निहित शक्तियों के अधीन तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 43 अ-12/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 5-6-12 निरस्त करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में कार्यवाही करते हुये पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर गुणा-गुण के आधार पर न्यायदान की कार्यवाही करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर